O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 3315
Date 03 NOV 2020

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

अपील प्रकरण क्रमांक 23/2020 दिनांक 24.07.2020

अपीलार्थी

श्री विपिन पंजाबी
अधिवक्ता, हाईकोर्ट
रायगढ़

विरूद्ध

प्रतिअपीलार्थी

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर

—:: आदेश ::—

(दिनांक 02/11/2020 को पारित)

अपीलार्थी श्री विपिन पंजाबी अधिवक्ता, रायगढ़ की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे पंजीयन क्रमांक 23/2020 दिनांक 24.07.2020 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी श्री विपिन द्वारा आवेदन दिनांक 13.05.2020 के माध्यम से निम्न जानकारी चाही गई है :—

शिकायतकर्ता श्रीमती मेरी अंजना टोप्पो ने कार्यपालक निदेशक (बि.क्षे.) के अधीनस्थ संचालित डिस्पेंसरी तिफरा, बिलासपुर में पदस्थ लेब टेक्नीशियन प्रवीण मसीह द्वारा थायरोकेयर मुम्बई के नाम पर उसकी फर्जी ब्लड सेम्पल रिपोर्ट बनाकर धोखाधडी करने बाबत् दिनांक 20.12.2019 को लिखित शिकायत उचित माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी होल्डिंग कंपनी कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई जॉच एवं दोषी प्रवीण मसीह के विरूद्व की गई कानूनी कार्यवाही की जानकारी देते हुए इससे संबंधित नोट—शीट एवं प्रस्तुत जवाब की नकल की प्रति।

(3) सूचना पत्र क्रमांक 38 दिनांक 18.08.2020 के माध्यम से अपील की सुनवाई दिनांक 26.08.2020 को निर्धारित कर, अपीलार्थी को सूचित किया गया। वैश्विक महामारी COVID -19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु छ0ग0 शासन द्वारा जारी निर्देशों के दृष्टिगत 30 दिवस के भीतर अपील प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी।

उक्त तिथि को (DPIO) मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बड़े भाई के स्वर्गवास होने के कारण प्रकरण में सुनवाई नही की जा सकी। प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 28.09.2020 को नियत कर, पत्र क्रमांक 42 दिनांक 01.09.2020 के द्वारा दोनों उभय पक्ष को सूचित किया गया। दिनांक 21.09.2020 से 28.09.2020 तक कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत छ.ग. शासन द्वारा रायपुर में पूर्ण लाकडाउन किया गया था। पॉवर कंपनी के परिपत्र कं. 3022 दिनांक 21.09.2020 के माध्यम से लाकडाउन अवधि में न्यूनतम अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया गया था। तथा बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश कार्यालय में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था। अतएव संक्रमण के दृष्टिगत अपील प्रकरण में सुनवाई नही की जा सकी।

अधोहस्ताक्षरकर्ता (अपीलीय अधिकारी) COVID-19 संक्रमण से ग्रसित होने के कारण 22 दिनों तक अवकाश पर रहे है। अतएव अपील सुनवाई के कार्यवाही में विलंब हुआ है।

प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 27.10.2020 को नियत की गई, जिसकी सूचना दोनो उभय पक्ष को पत्र क्रमांक 54 दिनांक 19.10.2020 के द्वारा दी गई। सुनवाई तिथि के संबंध में अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से भी सूचित किया गया था।

(4) निर्धारित तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के अवकाश उपरांत सहायक जन सूचना अधिकारी प्रबंधक (मा.सं.)–चार तथा (DPIO) मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(5) प्रतिअपीलार्थी सहायक जन सूचना अधिकारी द्वारा सुनवाई तिथि को मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि कंडिका 02/–टीप में आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, होल्डिंग कंपनी के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसके प्रतिउत्तर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त प्रकरण की जांच वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, अतः उक्त प्रकरण से संबधित कोई भी जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

उक्त वस्तुस्थिति से आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 1503 दिनांक 19.06.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है।

(6) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, प्रतिअपीलार्थी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का प्रथम अपील तर्क कि उन्हे जनसूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी उपलब्ध नही करायी गई है। जैसा कि प्रकरण धोखाधडी के विरूद्व की गई शिकायत की जॉच से संबंधित अभिलेख है, जिसका प्रकटन वृहत लोकहित में है। चूंकि ये लोक अभिलेख दस्तावेज होने के कारण कोई भी व्यक्ति उक्त दस्तावेज का नकल प्राप्त कर सकता है। जनसूचना अधिकारी के द्वारा उन्हे जानकारी उपलब्ध कराने से इंकार किया गया है जिससे अपीलार्थी व्यथित है। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी ने आवेदक के आवेदन को निराकृत न करते हुए सूचना का अधिकार के प्रावधानों का जानबूझकर एवं साशय उल्लंधन किया है। अतएव वांछित जानकारी उपलब्ध करायी जावे।

(iii) (DPIO) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का तर्क कि प्रकरण लेब टेक्नीशियन श्री प्रवीण मसीह द्वारा थायरोकेयर मुम्बई के नाम पर उसकी फर्जी ब्लड सेम्पल रिपोर्ट बनाकर धोखाधडी करने के विरूद्व की गई शिकायत की जॉच से संबंधित अभिलेख है, जिसकी जॉच की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। क्योकि प्रकरण में अभी जांच की प्रक्रिया पूरी नही हुई है। अतएव उक्त प्रकरण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। क्योकि उक्त दस्तावेज के प्रकटन से जॉच की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

(iv) सहायक जनसूचना अधिकारी का तर्क कि मामला जॉच के अधीन है, अतः प्रकरण में जॉच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः प्रकरण से संबंधित किसी भी तथ्यों का प्रकटन उचित नही है। यदि जॉच समाप्त हो जाता है, तो जॉच बाधित करने के किसी भय के बिना दस्तावेज को आसानी से प्रकटीकृत किया जा सकता है। लंबित विभागीय जांच के मामले में कोई प्रकटन नही किया जाना है। विभागीय जांच, जो जारी है अतः संबंधित सूचना को प्रकट करने का कोई प्रश्न नही है। यह कि जॉच समाप्त होने के बाद दस्तावेज प्रकट किया जा सकता है। अतः जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के फलस्वरूप इस प्रकार की सूचना देने में कोई व्यापक लोकहित सन्निहित नही है।

(7) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 05/–टीप में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही विधिसंगत है, जो स्वीकार योग्य है। यह कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी भ्रष्टाचार के विरूद्व की गई शिकायत से संबंधित जानकारी/दस्तावेज है, जिसकी जॉच वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। जैसा कि वर्तमान में प्रकरण में कोई व्यापक लोकहित सन्निहित नही है। अतएव जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न ही नही है।

यह कि जॉच की प्रक्रिया चालू है तथा पूरी नही हुई है, अतः अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1)(ज) के अंतर्गत प्रकरण से संबंधित किसी प्रकार की सूचना/अभिलेख का प्रकटन उचित नही है। तथापि जॉच प्रक्रिया पूर्ण व निष्कर्ष निकलने के बाद सूचना का प्रकटन किया जा सकता है। अतः कंडिका (5) एवं (6) टीप के दृष्टिगत वर्तमान में प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 23/2020 दिनांक 24.07.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्व किया जाता है।

02/11/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –23/2020/ 65 रायपुर, दिनांक 02/11/2020

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
(3) श्री विपिन पंजाबी आ. स्व. जी.डी. पंजाबी अधिवक्ता, हाईकोर्ट, बेलादुला, सिंधी कालोनी, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्व अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है। पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, जिला– रायपुर (छ.ग.)
पिन – 492002

02/11/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700